संख्या- 413/2025/175के-2/22-3-2025-17(325)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय:-जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जंगली यादव पुत्र श्री दीपा यादव, निवासी जनपद-महराजगंज की दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-38640/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक 10.12.2024, दिनांक 18.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जंगली यादव पुत्र श्री दीपा यादव, निवासी-बड़हरा महन्थ, थाना-कोठीभार, जनपद-महराजगंज का निवासी है। दिनांक 15.06.1987 को बन्दी द्वारा अपने 18 सहअभियुक्त के साथ मिलकर विधि विरुद्ध समूह की स्थापना कर बलवा करके बंदूक, भाला तथा गड़ासों से हमला करके 04 व्यक्तियों की हत्या कारित किया गया तथा पीड़ित पक्ष के थैले से रू0-8,000 नकद एवं घड़ी की लूट की गयी और जीप, ट्रैक्टर-ट्राली, राजदूत मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर आर्थिक हानि पहुंचाई गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-499/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 427, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, गोरखपुर के आदेश दिनांक 05.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा अपनी आख्या में बन्दी द्वारा आवेश में आकर अपराध कारित किया गया है, व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध होने किन्तु भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी का आचरण आम जनमानस में ठीक नहीं होने एवं रिहा होने पर गाँव में भय का माहौल कायम होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव पुत्र श्री दीपा यादव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा बन्दी के द्वारा कारित जघन्य अपराध (04 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जंगली यादव (बन्दी संख्या-135/2009) पुत्र श्री दीपा यादव, जनपद-महराजगंज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-413 /2025/175के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।